समक्ष - परमजीत सिंह, जे.

श्रीमती सुरेश देवी और अन्य - याचिकाकर्ता

बनाम

जसबीर सिंह और अन्य - प्रतिवादी

CR संख्या 2846 ऑफ़ 2011

9 सितंबर 2013

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- आदेश 23 नियम 1 - मोटर वाहन अधिनियम, 1988- धारा 166 और 169- दूसरा दावा याचिका - रखरखाव- MACT अंबाला के समक्ष पहला दावा याचिका वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया- MACT मोहाली के समक्ष दूसरा दावा याचिका इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि जब पिछली याचिका वापस ले ली गई थी तो नई याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं मांगी गई थी - क्या आदेश 23 नियम 1 CPC के प्रावधान दूसरे दावा याचिका पर रोक के रूप में लगेंगे - दावा याचिकाओं पर मुकदमा चलाने के संबंध में न्यायिक दृष्टिकोण उदार है - गुण-दोष के अलावा दावा याचिका को खारिज करने को नई याचिका पर रोक नहीं माना गया है, भले ही पिछली याचिका को वापस ले लिया गया हो या डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया हो। - दावा याचिका यदि अन्यथा सुनवाई योग्य है, तो तकनीकी आधार पर खारिज नहीं की जानी चाहिए - दावेदार को नई याचिका दायर करने का अधिकार है और वह जगह चुनने का भी अधिकार है जहां ऐसी याचिका दायर की जा सकती है।

अभिनिर्णित - इस प्रकार अधिनियम के तहत दावा याचिकाओं पर मुकदमा चलाने के संबंध में न्यायिक दृष्टिकोण उदार प्रतीत होता है। दावा याचिका को अन्यथा गुण-दोष के आधार पर खारिज करने को नई याचिका पर रोक नहीं माना गया है, भले ही पहली याचिका को वापस ले लिया गया हो या डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया हो।

दावेदार द्वारा MACT मोहाली में दायर की गई दूसरी याचिका को इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था कि जब पिछली याचिका MACT अंबाला से वापस ले ली गई थी तो नई याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं मांगी गई थी। यदि याचिका अन्यथा सुनवाई योग्य है तो इसे तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। दावेदार को न केवल नई याचिका दायर करने का अधिकार है बल्कि वह जगह चुनने का भी अधिकार है जहां ऐसी याचिका दायर की जा सके।

(पैरा 12 और 13)

जे.एस. कूनर, याचिकाकर्ताओं के लिए वकील

आर.एस. पंढेर, , प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लिए वकील

अनामिका मेहरा, प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से वकील।

परमजीत सिंह, जे. (मौखिक)

(1) यह आदेश 2011 के सिविल रिवीजन नंबर 2846 का शीर्षक "श्रीमती सुरेश देवी और अन्य बनाम जसबीर सिंह और अन्य" और 2011 के सिविल रिवीजन नंबर 2849 का शीर्षक "श्रीमती सरोज बाला और अन्य बनाम जसबीर सिंह और अन्य" का निपटान करेगा , क्योंकि वे एक ही क्रम से उत्पन्न होते हैं।

(2) संक्षिप्तता के लिए, तथ्यों को 2011 के नागरिक संशोधन संख्या 2846 से लिया जा रहा है।

(3) मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (इसके बाद MACT), मोहाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.01.2011 को रद्द करने के लिए तत्काल पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर दावा याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि पहले याचिकाकर्ताओं ने MACT अंबाला के समक्ष समान तथ्यों पर एक याचिका दायर की, जिसे 18.05.2009 को बिना कार्रवाई का नया कारण दायर करने की अनुमति के वापस ले लिया गया और खारिज कर दिया गया।

(4) मैंने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड का अवलोकन किया है।

(5) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के सिद्धांत वर्तमान मामले में सख्ती से लागू नहीं होते हैं। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि यदि पहली दावा याचिका का निर्णय गुण-दोष के आधार पर नहीं किया गया था, तो दूसरी दावा याचिका सुनवाई योग्य है। अपने तर्क के समर्थन में उन्होंने FAO नंबर 1977 ऑफ़ 2010 में

पारित इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया, जिसका शीर्षक था "श्रीमती कुलदीप कौर और अन्य बनाम कंवलदीप सिंह और अन्य" जो 10.11.2010 को तय किया गया था।

(6) परकॉन्ट्रा उत्तरदाताओं के वकील ने तर्क दिया कि चूंकि MACT अंबाला के समक्ष याचिका को नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता के बिना वापस ले लिया गया था, इसलिए दूसरा दावा याचिका नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 नियम 1 के आधार पर सुनवाई योग्य नहीं है (इसके बाद "CPC" के रूप में संदर्भित किया गया है) और सही ही खारिज कर दिया गया है। इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं को अपनी सुविधा के अनुसार फोरम चुनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

(7) उपरोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स और पार्टियों के विद्वान वकीलों द्वारा दिए गए तर्कों की पृष्ठभूमि में, इस अदालत द्वारा निर्धारित किया जाने वाला प्रश्न यह है कि "क्या आदेश 23 नियम 1 CPC के प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम के तहत दायर दूसरे दावा याचिका पर तब भी रोक के रूप में काम करेंगे, यदि पहले को नए सिरे से दायर करने की स्वतंत्रता के बिना खारिज कर दिया गया था?"

(8) MACT से पहले ही CPC के प्रावधानों की प्रयोज्यता निर्धारित करने के लिए कई अवसरों पर अदालतों को बुलाया गया है और अब तक यह तय हो चुका है कि चूंकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में अधिनियम') एक लाभकारी कानून है, इसलिए CPC के तकनीकी प्रावधान MACT से पहले की कार्यवाही पर सख्ती से लागू नहीं होते हैं।

(9) पहली याचिका को खारिज करने के बाद दूसरी याचिका को वापस लेने या किसी अन्य तकनीकी आधार पर विचारणीयता का प्रश्न इस न्यायालय और अन्य माननीय उच्च न्यायालयों के समक्ष उठा है। राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने **विमला देवी और अन्य बनाम राजेंद्र कुमार और अन्य**[1] मामले में ने दूसरे दावा याचिका की पोषणीयता के मुद्दे पर विचार किया है जब पहली याचिका डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दी गई थी। उस मामले में आदेश 7 नियम 11 CPC के प्रावधानों को लागू करके दूसरी दावा याचिका खारिज कर दी गई थी। फिर भी, अदालत ने माना कि **दिनेश कुमार बनाम सुनील कुमार** W.P. No. 2021 ऑफ़ 2008(निर्णय 06.11.2012) के मामले में ऐसी नई याचिका सुनवाई योग्य है, जिसमें, दूसरी दावा याचिका MACT सिवनी द्वारा खारिज कर दी गई क्योंकि याचिकाकर्ता ने MACT लखनादौन, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष पहले ही एक दावा याचिका दायर कर दी थी:

> "...उपरोक्त के मद्देनजर वर्तमान मामले की जांच करने पर, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने लखनादौन के दावा न्यायाधिकरण के समक्ष दायर पूर्वोक्त दावा याचिका को बहाल करने का तरीका नहीं अपनाया है। उसने दायर करने की प्रक्रिया भी नहीं अपनाई है MACT लखनादौन के आदेश के खिलाफ अपील, समीक्षा याचिका भी उनके द्वारा दायर नहीं की गई थी, लेकिन उन्होंने नई दावा याचिका दायर की

[1] 2004 ACJ 504

है क्योंकि उन्हें दायर करने के लिए सीमा उपलब्ध थी.... उपरोक्त के मद्देनजर यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के लिए ट्रिब्यूनल के समक्ष नई दावा याचिका दायर करने की सीमा उपलब्ध थी और उसे या तो MACT लखनादौन के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में दायर किया जा सकता था जहां कथित दुर्घटना हुई थी या उसे क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर दायर किया जा सकता था। MACT सिवनी जिसके अधिकार क्षेत्र में याचिकाकर्ता निवास कर रहा था, उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर जब याचिकाकर्ता नई दावा याचिका दायर करने का हकदार था, जिसके लिए सीमा उसके पास उपलब्ध थी, तो उसे किसी भी पहले दावा याचिका दायर करने के लिए मंच चुनने का भी अधिकार था। ट्रिब्यूनल के या तो जहां कथित दुर्घटना हुई थी या MACT सिवनी के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के भीतर जिसके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में याचिकाकर्ता रह रहा था और ऐसे परिसर में, याचिकाकर्ता ने सिवनी के दावा ट्रिब्यूनल के समक्ष दावा दायर किया।

(10) उपरोक्त निर्णय के अवलोकन से संकेत मिलता है कि बर्खास्तगी के मामले में भी जहां दावेदार नई याचिका चाहता है, उसे केवल प्रक्रिया की तकनीकीताओं के कारण गैर-अनुकूलित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रक्रिया के नियमों का उद्देश्य न्याय की दासी के रूप में काम करना है, न कि उसे पराजित करना। मौजूदा मामले में MACT मोहाली द्वारा दूसरी याचिका को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि पहली याचिका जो MACT

अंबाला के समक्ष दायर की गई थी, उसे वापस ले लिया गया था और नई याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं दी गई थी। इसी तरह की स्थिति से निपटते हुए **श्रीमती कुलदीप कौर और अन्य बनाम कंवलदीप सिंह,** FAO No. 1977 ऑफ़ 2007(फैसला 10.11.2010) में इस उच्च न्यायालय की समन्वय पीठ, को निम्नानुसार देखा गया है:

> "....मोटर वाहन अधिनियम जहां तक अधिनियम के तहत विशेष रूप से गठित न्यायाधिकरण में मुआवजे का दावा करने का प्रावधान करता है, एक कल्याणकारी सिद्धांत अधिनियमित करता है और मैं आदेश 23 नियम 1 प्रावधानों को बिना इस बात की परवाह किए बिना लागू नहीं कर सकता कि इससे प्रतिस्पर्धी पार्टियों को कोई पूर्वाग्रह होता है या नहीं। यदि वाहन शामिल थे और दुर्घटना सच थी, तो ट्रिब्यूनल के समक्ष कार्यवाही में चूक या परित्याग के लिए याचिका को खारिज करना और दुर्घटना के समान विवरण पर किसी अन्य ट्रिब्यूनल में मामले का मुकदमा चलाने को यह देखे बिना अलग से नहीं माना जा सकता है कि क्या ऐसा है कार्यवाही से कोई भौतिक पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है। यदि दावे की योग्यता पर हमला नहीं किया जा सकता है, तो मैं एक नई याचिका को छोड़कर किसी अन्य ट्रिब्यूनल के समक्ष याचिका दायर करने की अनुमति लेकर मामले को छोड़ने की तकनीकी दलील की अनुमति नहीं दे सकता। इसलिए, याचिका की विचारणीयता के संबंध में निष्कर्ष को रद्द किया जाता है."

(11) इसके अलावा, **बिमला देवी और अन्य बनाम राज बाला और अन्य** CR No. 4995 ऑफ़ (10.03.2009) को इस अदालत की एक अन्य समन्वय पीठ ने माना है कि CPC के आदेश 23 नियम 1 के प्रावधान लागू नहीं हैं MACT के समक्ष कार्यवाही के लिए हालांकि, उस मामले में आदेश 23 नियम 1 की गैर-प्रयोज्यता के अलावा अदालत ने इस तथ्य पर अपना निष्कर्ष निकाला कि पहली याचिका की वापसी सशर्त थी ।

(12) इस प्रकार अधिनियम के तहत दावा याचिकाओं पर मुकदमा चलाने के संबंध में न्यायिक दृष्टिकोण उदार प्रतीत होता है। दावा याचिका को अन्यथा गुण-दोष के आधार पर खारिज करने को नई याचिका पर रोक नहीं माना गया है, भले ही पहली याचिका को वापस ले लिया गया हो या डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दिया गया हो।

(13) ऊपर बताई गई कानूनी स्थिति के आलोक में, मेरा विचार है कि मौजूदा मामले में, MACT मोहाली में दावेदार द्वारा दायर की गई दूसरी याचिका को इस आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था कि जब नई याचिका दायर करने की कोई स्वतंत्रता नहीं मांगी गई थी। कार्लियर की याचिका MACT अंबाला से वापस ले ली गई। यदि याचिका अन्यथा सुनवाई योग्य है तो इसे तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए था। दावेदार को न केवल नई याचिका दायर करने का अधिकार है बल्कि वह वह जगह भी चुन सकता है जहां ऐसी याचिका दायर की जा सके।

(14) उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। आक्षेपित आदेश 3.01.2011 को निरस्त किया जाता है। MACT मोहाली कानून के अनुसार दावा याचिका पर आगे बढ़ेगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

रितिज़ अरोड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(TRAINEE JUDICIAL OFFICER)

(हरियाणा)